

विज्ञापन 2023-24

भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों/विद्यालयों में दशमोत्तर कक्षाओं में नियमित रूप से अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं को दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का वितरण प्रतिवर्ष बजट की उपलब्धता की सीमा तक नियमावली में निर्धारित प्राविधानों व वरीयताओं के अनुसार किया जाता है। प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर (केवल शासकीय (GOVT) एवं शासकीय सहायता प्राप्त (GOVT AIDED) संस्थान केवल अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सामान्य वर्ग के लिये) स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों/विद्यालयों एवं उनमें संचालित मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों आदि का विवरण केवल आनलाइन आवेदन कर मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने की अनिवार्य व्यवस्था वर्तमान में लागू है। अन्य प्रदेशों में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सामान्य वर्ग के शासकीय (GOVT) एवं शासकीय सहायता प्राप्त (GOVT AIDED) शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को ही वर्तमान में यह सुविधा प्रदान की गयी है। वर्ष 2023-24 में व्यवस्था निम्नवत् निर्धारित है:-

- 1- नवीन शिक्षण संस्थानों/विद्यालयों मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने के लिये समय-सारिणी में निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत मान्यता/सम्बद्धता प्राप्त नये शिक्षण संस्थानों/विद्यालयों को वेबसाइट के इंस्टीट्यूट सेक्शन में जाकर स्वयं निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर ऑनलाइन आवेदन करके सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी से ऑनलाइन सत्यापन होने के पश्चात् जिला समाज कल्याण अधिकारी से लॉगिन एवं पासवर्ड प्राप्त करना होगा तथा मास्टर डाटा पूर्ण करते हुए निर्धारित समयावधि में डिजिटल हस्ताक्षर से लॉक करना होगा।
- 2- मास्टर डाटाबेस में शिक्षण संस्थानों एवं पाठ्यक्रमों आदि को सम्मिलित करने हेतु समय-सारिणी में निर्धारित समयावधि (बाह्य प्रदेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक) के बाद कोई भी आनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा।
- 3- मास्टर डाटाबेस में वही शिक्षण संस्थान/विद्यालय सम्मिलित हो सकेंगे जिनको एवं जिनमें संचालित पाठ्यक्रमों की मान्यता/सम्बद्धता दिनांक 30 सितम्बर 2023 तथा इससे पूर्व की होगी।
- 4- मास्टर डाटाबेस में जिन शिक्षण संस्थानों/विद्यालयों के नाम पहले से शामिल हैं, उन्हें भी शैक्षणिक वर्ष 2023-24 हेतु अपने शिक्षण संस्थान से सम्बन्धित समस्त विवरण पूर्व में प्रदान किये गये लागिन आई०डी० एवं पासवर्ड के माध्यम से आनलाइन भर कर मास्टर डाटाबेस में अद्यतन (Update) करते हुये डिजिटल हस्ताक्षर से लाक करना होगा। शिक्षण संस्थान अपने यहाँ असंचालित अथवा मान्यताविहीन पाठ्यक्रम को लाक नहीं करेंगे तथा नवीन मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम को मास्टर डाटा में जोड़कर एवं सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क एवं अनुमन्य सीटों की संख्या को अंकित कर डिजिटल हस्ताक्षर से लाक करेंगे। शिक्षण संस्थान के पाठ्यक्रम यदि वर्षवार अलग-अलग विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध हो तो शिक्षण संस्थान को विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी का पाठ्यक्रम के वर्षवार चयन कर अंकित करना होगा। शिक्षण संस्थान द्वारा मान्यता, अनुमन्य सीटों की संख्या एवं शुल्क के सम्बन्ध में सुसंगत शासनादेश भी वेबसाइट पर यथास्थान अपलोड किया जायेगा।
- 5- शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य/निदेशक तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर, ई-मेल, पैन नम्बर तथा आधार नम्बर भी वेबसाइट पर रजिस्टर करना अनिवार्य होगा। मास्टर डाटा में अंकित किये गये विवरण तथा अपलोड किये गये अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य/निदेशक तथा

ASH

ASH

ASH

ASH

ASH

ASH

नोडल अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से किया जाना अनिवार्य होगा। किसी एक शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य/निदेशक तथा नोडल अधिकारी द्वारा प्रयुक्त डिजिटल सिग्नेचर को दूसरे संस्थान में प्रयोग नहीं किया जायेगा।

6- सभी संस्थान अपने यहाँ अध्ययनरत छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन संख्या (प्रथम वर्ष को छोड़कर) उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। कोई भी आवेदन बिना आनलाइन आधार जनसांख्यिकीय प्रमाणीकरण (Demographic Authentication) के नहीं भरा जा सकेगा तथा आधार सीडेड बैंक खाता होने पर ही धनराशि का अंतरण सम्भव हो सकेगा।

7- प्रदेश के बाहर स्थित केवल शासकीय (GOVT) एवं शासकीय सहायता प्राप्त (GOVT AIDED) शिक्षण संस्थानों को समय-सारिणी में निर्धारित अन्तिम तिथि तक समस्त अभिलेखों के साथ वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन पत्र में माँगी गयी सूचनाओं को निदेशक, समाज कल्याण, उ०प्र०, लखनऊ को प्रेषित करना होगा एवं छात्रवृत्ति वेबसाइट पर निर्धारित लागिन से स्वयं आनलाइन आवेदन कर मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होना होगा।

8- प्रदेश के बाहर स्थित केवल शासकीय (GOVT) एवं शासकीय सहायता प्राप्त (GOVT AIDED) शिक्षण संस्थानों को मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने के लिये लागिन आई०डी० एवं पासवर्ड उनके द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र में अंकित ई मेल पर दिया जायेगा। संस्थाएँ आवेदन पत्र भरते समय सही और कार्यरत ईमेल एड्रेस ही दें।

9- लागिन एवं पासवर्ड प्राप्ति हेतु योजनाधिकारी/नोडल अधिकारी दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना (प्रदेश के बाहर) समाज कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार आवेदन करना होगा। बाह्य प्रदेश स्थित संस्थान छात्रवृत्ति सम्बन्धी किसी समस्या हेतु कान्टेक्ट सेन्टर के दूरभाष संख्या 0522-3538700 (प्रातः 9:30 बजे से सायं 6:00 बजे तक अवकाश के दिनों को छोड़कर) पर कार्यालय अवधि में सम्पर्क कर सकते हैं।

10- प्रदेश के बाहर केवल शासकीय (GOVT) एवं शासकीय सहायता प्राप्त (GOVT AIDED) संस्थानों में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नोटिफाइड अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग से सम्बन्धित छात्रों को छात्रवृत्ति देय हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग में व अल्पसंख्यक वर्ग में चिन्हित उप जातियों के छात्र प्रदेश के बाहर के संस्थानों में अध्ययनरत होने पर आनलाइन आवेदन नहीं करेंगे। प्रदेश के बाहर स्थित शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों को लागिन आई०डी० एवं पासवर्ड प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र की हार्ड कापी समस्त अभिलेखों के साथ रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट से तथा आवेदन पत्र को स्कैन कर ईमेल-dd.dir3.sw@dirsamajkalyan.in पर शासन द्वारा जारी समय-सारिणी में दी गयी समयावधि तक उपलब्ध करानी होगी।

11- प्रदेश के बाहर स्थित शासकीय (GOVT) एवं शासकीय सहायता प्राप्त (GOVT) सभी शिक्षण संस्थानों को लागिन आई०डी० एवं पासवर्ड मिलते ही समय-सारणी में निर्धारित अन्तिम तिथि तक अपने शिक्षण संस्थान की समस्त सूचनाएं एवं अनुमन्य सीटों की संख्या व सक्षम स्तर से निर्धारित फीस स्ट्रक्चर निर्धारित पोर्टल पर आनलाइन भरकर एवं यथास्थान उसकी स्कैन कापी अपलोड करके उसे लाक करना होगा।

12- मास्टर डाटा बेस में उक्त प्रक्रिया अनुसार जिन शिक्षण संस्थानों/विद्यालयों का नाम निर्धारित तिथि तक सम्मिलित व डिजिटली हस्ताक्षरित होगा एवं सत्यापन/जांचोपरान्त सही पाया जायेगा, उन्हीं शिक्षण

1

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones in the center and right.

संस्थानों/विद्यालयों व संस्थागत दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत नियमित छात्रों को नियमावली के प्राविधानों एवं वरीयताओं के अन्तर्गत उपलब्ध बजट की सीमा तक दशमोत्तर छात्रवृत्ति देय होगी।

13- मास्टर डाटा में पाठ्यक्रम सम्मिलित करने, परिवर्तन करने या अन्य कार्यवाही हेतु जिला समाज कल्याण अधिकारियों के माध्यम से अपना अनुरोध निदेशक समाज कल्याण को निर्धारित अन्तिम तिथि तक प्रेषित करना होगा।

14- मास्टर डाटाबेस में नवीन संस्थाओं के सम्मिलित होने के लिए बाह्य प्रदेश हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप एवं प्रदेश के भीतर एवं बाह्य प्रदेश हेतु इंस्टीट्यूट सेक्शन में लिंक वेबसाइट <https://scholarship.up.gov.in> पर उपलब्ध है।

15- छात्र अपने आवेदन पत्र की स्थिति वेबसाइट पर उपलब्ध स्टेटस आप्शन के सम्बन्धित वर्ष में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं जन्मतिथि डालकर जान सकते हैं।

16- प्रत्येक संस्थान के लिए यू०डाइस (U-DISE) (कक्षा-9 से 12 तक) एवं आइस (AISHE) (समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए) कोड भरा जाना अनिवार्य होगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो भारत सरकार के नियमों के अनुसार ऐसे संस्थान को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति देय नहीं है।

17- उक्त के अतिरिक्त सभी संस्थाएँ (प्रदेश के अन्दर तथा प्रदेश के बाहर स्थित) विभिन्न वर्गों की छात्रवृत्ति नियमावली में दिये गये विभिन्न नियमों का भली भाँति अध्ययन करने के उपरान्त ही नियमावली में दी गयी व्यवस्थाओं के अनुसार पात्र छात्रों का आवेदन पत्र अग्रसारित करें।


18- छात्र अपने आवेदन की स्थिति जानने के लिये अथवा छात्रवृत्ति सम्बन्धी किसी भी जानकारी हेतु सम्बन्धित वर्ष का स्टेटस देखें। किसी भी समस्या के लिए अपने जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के लिये)/जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी (पिछड़ा वर्ग के लिये)/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी (अल्पसंख्यक वर्ग के लिये) से ही सम्पर्क करें।

19- संस्था एवं छात्र वर्ष 2023-24 की पूर्वदशम एवं दशमोत्तर कक्षाओं की समय-सारिणी, वर्तमान नियमावली, पूर्व नियमावली एवं विभाग द्वारा समय-समय पर दी जाने वाली सूचनाओं को वेबसाइट <https://scholarship.up.gov.in> के माध्यम से जानकारी कर सकते हैं।


निदेशक

समाज कल्याण
उत्तर प्रदेश।

(राजेश कुमार)
सहायक निदेशक
सम्बद्ध मुख्यालय
शिक्षा-अ अनुभाग


(सिद्धार्थ मिश्र)
सहायक निदेशक (छात्रवृत्ति)
मुख्यालय


(सुनील कुमार बिसेन)
संयुक्त निदेशक (मु०)